


उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद।

विज्ञप्ति

पत्रांक:- 1410 / 004 / (2018) / चयन / 2018-19 दिनांक 31.10. 2018

विज्ञापन संख्या-1/2013 के माध्यम से विज्ञापित प्रशिक्षित स्नातक सिलाई विषय के पदों के प्रति अन्तिम चयन परिणाम तैयार करते समय अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता/प्रशिक्षण की जाँच में यह पाया गया कि किसी भी अभ्यर्थी के पास इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय-02 के परिशिष्ट "क" में उल्लिखित सिलाई विषय हेतु अनिवार्य शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता धारित नहीं की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में चयन बोर्ड ने अपनी बैठक दिनांक 26.10.2018 में यह निर्णय लिया कि चूँकि कोई भी अभ्यर्थी निर्धारित अर्हता धारित नहीं करते हैं अतएव इस विषय के संदर्भ में किसी अभ्यर्थी की संस्तुति करना नियमानुकूल नहीं होगा। अतः विज्ञापन संख्या-1/2013 के सिलाई विषय के चयन को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।


31.10.18
सचिव

उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड
इलाहाबाद।

पृ०सं०:- _____ / 004 / (2018) / चयन / 2018-19 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित अनुभागों को सूचनार्थ।

1. अधियाचन अनुभाग / वाद अनुभाग।
2. गार्ड पत्रावली।

/
सचिव
उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड
इलाहाबाद।